इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 10, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नयम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ.5-12-2017-अ-तेहत्तर भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 30 की उप धारा (1) तथा (2) के साथ पठित धारा 21 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते

हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम, 2017 है।

(2) इनका विस्तार मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27),

(ख) "***मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम***" से अभिप्रेत है, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26),

(ग) "**अध्यक्ष**" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 21 उपधारा (1) के खण्ड (प) के अधीन नियुक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् का अध्यक्ष,

(घ) "**कलेक्टर**" से अभिप्रेत है, जिले का कलक्टर,

(ड) "**परिषद**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अधीन स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद्,

(च) "**सरकार**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार,

(छ) "**संस्था**" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (2) तथा (3) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान की सेवाएं देने वाली कोई संस्था या केन्द्र,

(ज) "**सदस्य**" से अभिप्रेत है, परिषद् का सदस्य;

(झ) "**एम.एस.ई. इकाई**" से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम;

(ञ) "**गणपूर्ति**" से अभिप्रेत है, परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी इसकी बैठक होने के लिए परिषद् को समर्थ बनाने के क्रम में विधिपूर्ण उपस्थिति आवश्यक है;

(ट) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. परिषद् की स्थापना.–

(1) राज्य सरकार, कम से कम एक परिषद् स्थापित करेगी तथापि यदि कार्य के आधार पर मांग हो, तो वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने और ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक परिषद् की स्थापना कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, इस प्रकार नियुक्त परिषद् को सचिवालय सहायता भी दे सकेगी। वह सचिवालय के किसी पदाधिकारी परिषद् के सचिव के रूप में काम करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी। जिसे परिषद् द्वारा इस निमित्त सूचनाएं या आदेश को जारी करने के लिए सशक्त किया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार, परिषद् की सहायता करने के लिए एक विधिक विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकेगी।

(4) राज्य सरकार, आवेदन दाखिल करते समय कोई फीस और/ या प्रसंस्करण प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(5) परिषद् के सचिवालय की अपनी स्वंय की मुद्रा होगी।

4. अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति.–

राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (1) के उप खंड (i) में विद्यमान उपबंधो को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के उद्योगों के आयुक्त/संचालक को परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। तथापि, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सीमित प्रयोजन हेतु परिषद् के अध्यक्ष होने के लिए उद्योगों के आयुक्त/ संचालक के रूप में पदाभिहित हो सकते हैं।

5. परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की रीति.–

(1) परिषद्, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन से अन्यून किन्तु पांच से अनधिक सदस्यों से गठित होगी।

(2) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (ii), (iii) या (iv) में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (1) के खंड (ii), (iii) और (iv) के अधीन नियुक्त सदस्य तब तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस वर्गों अथवा हितों का प्रतिनिधित्व करते हों जिसके लिए उनकी ऐसी नियुक्ति की गई थी।

(4) जब परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है अथवा त्यागपत्र दे देता है अथवा त्यागपत्र दे दिया गया समझे जाने पर अथवा पद से हटाए जाने पर अथवा सदस्य के रूप में कृत्य करने में अक्षम हो जाता है, तब राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(5) परिषद्, का कोई सदस्य राज्य सरकार को लिखित में एक माह की सूचना देकर परिषद् से त्यागपत्र दे सकेगा। सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

(6) राज्य सरकार किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी–

(क) यदि वह विक्षिप्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(ख) यदि वह दिवालिया हो जाता है अथवा ऋणदाताओं का भुगतान रोक देता हो ; अथवा

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन दण्डनीय है;

(घ) यदि उसने अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों तथा किसी भी मामले में लगातार पाँच बैठकों में भाग नहीं लिया हो; अथवा

(ड.) यदि वह ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित प्राप्त कर लेता है, जो राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को पूर्वाग्रह पूर्ण ढंग से प्रभावित करने की संभावना है;

(7) अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। अशासकीय सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

6. परिषद् के सदस्यों को मानदेय.–

सदस्यों को पारिश्रमिक, मानदेय अथवा फीस और कोई भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे जो सरकार द्वारा यथा अनुमोदित/अधिसूचित दरों पर होंगे।

7. परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में पालन की जाने वाली प्रकिया.–

(1) एक व्यथित एम.एस.ई इकाई जिसका मामला परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है इन नियमों की अनुसूची 1 में उल्लिखित प्ररूप में संदर्भ भेज सकेगी। संदर्भ के साथ व्यथित एम.एस.ई इकाई की उद्योग आधार ज्ञापन (यू.ए.एम) संख्या, मोबाईल संख्या तथा ई मेल पता अवश्य होना चाहिए जैसा कि अनुसूची 1 में वर्णित है।

(2) ऐसे संदर्भ के साथ राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उपरोक्त पैरा 3 (चार) के अनुसार फीस अथवा प्रसंस्करण प्रभार तथा व्यथित एम.एस.ई इकाई द्वारा वचन–पत्र संलग्न करना होगा कि उसने इसी विवाद पर सिविल न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सदर्भ प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) आपूर्ति एम.एस.ई.इकाई से संदर्भ प्राप्त होने पर परिषद् का सचिवालय इसके प्रयोजन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल में डाटा अपलोड करेगा।

(4) डाटा प्रविष्ट करने के पश्चात् सचिवालय द्वारा आवेदक एम.एस.ई इकाई को ई मेल के, माध्यम से संदर्भ की प्राप्ति की पावती जारी की जाएगी।

(5) परिषद्, प्रारंभिक चरण में फीस या एम.एस.ई इकाई के संदर्भ दर्ज करने की, सक्षमता के बारे में संदर्भ की जांच कर सकेगी।

(6) यदि परिषद् का संदर्भ अथवा इसमें दर्ज ब्यौरे के बारे में समाधान नहीं होता है तो वह संदर्भ लौटा सकेगी।

(7) परिषद् या तो मामले में स्वयं समाधान कर सकेगी अथवा समाधान के लिए किसी संस्थान की मदद ले सकेगी और यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेती है तो वह पक्षकारों को संस्थान भेज सकेगी।

(8) जिस संस्थान को विवाद्यक निर्दिष्ट किया गया है वह इसका समाधान करने की प्रयास करेगा और वह परिषद् के संदर्भ से 15 दिनों के भीतर यथाशीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) जहां समाधान सफलतापूर्ण नहीं होता है और पक्षकारों के बीच समझौता बिना किसी समाधान के निरस्त हो जाता है, वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वंय उचित आगामी कारवाई यथा मध्यस्थता करेगी अथवा किसी संस्थान को मध्यस्थता के लिए भेज देगी।

(10) यदि मामला संस्थान को निर्दिष्ट किया जाता है, तो संस्थान, मध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबधों के अनुसार विवाद्यक की मध्यस्थता करेगा और अधिनिर्णय परिषद् को भेजेगा।

(11) परिषद्, अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने अथवा संस्थान से अधिनिर्णय प्राप्त होने पर मामले पर विचार करेगा और मामले में समुचित अंतिम आदेश पारित करेगी।

(12) परिषद, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 26 के निबंधनों में एक अथवा अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगी /या सेवाए ले सकेगी।

(13) परिषद् या विवाद का कोई पक्ष परिषद् के अनुमोदन से एक पक्ष साक्ष्य ग्रहण करने में सहायता के लिए, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 27 के अधीन न्यायालय को आवेदन कर सकेंगे।

8. परिषद् की बैठकें और गणपूर्ति.–

(1) परिषद् की बैठक सामान्यतः सात दिनों की सूचना देने के पश्चात् होगी ।

(2) तथापि, तात्कालिकता के मामले में, ऐसी अल्पावधि संक्षिप्त सूचना पर, जैसा अध्यक्ष उपयुक्त समझें, बैठक बुला सकेगा ।

(3) याचिकाकर्ता को बैठक हेतु समस्त सूचनाएं /संसूचना एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।

(4) परिषद् माह में कम से कम एक बार अवश्य ही नियमित बैठक करेगी।

(5) बैठक की गणपूर्ति दो से होगी, यदि सदस्यों की संख्या तीन या चार है और यह संख्या तीन होगी यदि सदस्यों की संख्या पांच है ।

9. परिषद् का विनिश्चय.–

(1) परिषद् का कोई विनिश्चय परिषद् की बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

(2) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम,1996 (1996 का 26) की धारा 31 के अनुसार और अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिषद्, माध्यस्थम पंचाट जारी कर सकेगी। पंचाट प्रवृत्त सुसंगत विधि के अनुसार मुद्रांकित किया जाएगा। पंचाट की प्रतियां, आवेदन दाखिल करने के सात दिन के भीतर, उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(3) सचिवालय, परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए वेबपोर्टल पर अपलोड करेगा।

(4) परिषद् द्वारा स्वयं अथवा आनुकाल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी ऐसी संस्था अथवा केन्द्र द्वारा, जिसे परिषद् द्वारा संदर्भित किया गया है, पारित की गई किसी डिक्री, पंचाट अथवा अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन किसी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपीलार्थी (जो प्रदायकर्ता नहीं है) ने ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित रीति में, यथास्थिति डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश के निबंधनों में उस रकम का पचहत्तर प्रतिशत उसके पास जमा न कर दी गई हो।

10. देय रकम की भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली.–

यदि क्रेता अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्वयं, परिषद् द्वारा या किसी संस्था या केन्द्र द्वारा पारित किसी डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए अपील दाखिल नहीं करता है या ऐसी अपील खारिज हो गई हो, तो उस दशा में, ऐसी डिक्री, पंचाट या आदेश संबंधित ज़िले के कलक्टर द्वारा निष्पादित किया जाएगा और देय रकम की वसूली भू–राजस्व के बकाया के तौर पर की जाएगी।

11. प्रगति प्रतिवेदन.–

(1) परिषद्, इस प्रयोजन के लिए बनाये गये वेबपोर्टल पर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए आधारभूत जानकारी अपलोड करेगी ।

(2) परिषद्, अधिनियम में यथा परिभाषित रीति में तथा समय–समय पर अपेक्षित प्ररूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को जानकारी उपबंधित कराएगी ।

12. कठिनाईयों को दूर करना.–

(1) समस्त कार्यवाहियां पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार बेरोकटोक चलती रहेंगी।

(2) इन नियमों के कियान्वित होने के दौरान यदि कोई कठिनाई उद्भुत होती हो तो, उसका समाधान, केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा ।

13. निरसन तथा व्यावृत्ति.–

(1) मध्यप्रदेश लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज नियम, 1999 को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) उक्त नियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में की गई किसी बात की कार्रवाई के संबध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची–एक
एमएसईएफसी को विलंबित भुगतान के निर्देश प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

प्रति,

अध्यक्ष,
सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,
.....

निर्देश :–**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस एम ई डी) की धारा 18 के अधीन**

मैं मेसर्स .....की ओर से मैं प्राधिकृत प्रतिनिधि हूं। यह फर्म एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म/लघु उद्यम इकाई है। इस इकाई द्वारा मेसर्स ....को सामग्री/सेवा का प्रदाय किया गया है, परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार फर्म को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, मैं व्यथित होकर यह निर्देश प्रस्तुत करता हूं प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार है :

1. उद्योग आधार नम्बर
(टीप:–एम एस एम ई इकाई उद्योग आधार का पंजीयन udyogaadhar.gov.in (http://udyogaadhar.gov.in) कर सकते है।) :
2. आवेदन पत्र दाखिल करने का दिनांक
(दिनांक/माह/वर्ष) :
3. **व्यथित एम एस ई इकाई के ब्यौरे:**
   (1) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम :
   (प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए)
   (2) इकाई का नाम :
   (3) पता (पिनकोड सहित) :
   (4) राज्य :
   (5) जिला :
   (6) मोबाईल नम्बर :
   (7) ई–मेल :
   (8) व्यथित एम एस ई
   सूक्ष्म लघु का प्रकार
4. **प्रत्युत्तरदाता (क्रेता)का नाम**
   (1) पता (पिनकोड सहित) :
   (2) राज्य :
   (3) जिला :
   (4) मोबाईल नम्बर :
   (5) ई–मेल :
   (6) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम प्रवर्ग (सी पी एस यू/राज्य पी एस यू/.....)

5. **दावे के संबंध में जानकारी के ब्यौरे**

(1) क्रेता/उत्तरदाता द्वारा जारी प्रदाय आदेशों के ब्यौरे के साथ सामग्री/सेवा की उपबन्धित मात्रा, एवं मूल्य के विवरण की छाया प्रतियां संलग्न करें।

(2) प्रदाय आदेश के विरूद्ध उठाये गये बिल्स/इन्वाइस के ब्यौरे सामग्री/सेवा का नाम, मात्रा, एवं मूल्य, छाया प्रतियां, संलग्न करें।

(3) डिलेवरी चालान के विवरण, कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र/ माल प्राप्ति ब्यौरे सहित।

(4) सामग्री के विवरण/सेवा की स्वीकारोक्ति, मात्रा एवं दिनांक छाया प्रतियों सहित ब्यौरे ।

(5) क्रेता एवं आपूर्ति कर्ता के मध्य प्रदाय हेतु समझौता/अनुबन्ध निबंधन एवं शर्तो के विस्तृत ब्यौरे नियत दर प्रदाय दिनांक सहित ।

(6) आपूर्ति के आदेश में दिनांक सहित देय एवं अदेय इन्वाइस के ब्यौरे ।

(7) पैंतालिस दिनों के पूर्ण होने एवं प्रदाय तथा अच्छी आपूर्ति के लिए विलंब से हुए भुगतान की गणना के लिए नियत दिन के ब्यौरे।

(8) प्रदेय भुगतान की अदायगी हेतु प्रति उत्तरदाता से किए गये पत्र व्यवहार के ब्यौरे ।

(9) प्रदाय की गई सामग्री/उपलब्ध कराई गई सेवा अथवा पक्षकारों के मध्य कोई समझदारी के विरूद्ध यदि प्रत्युतरदाता की कोई शिकायतें / आपत्तियों के प्रमाणिक ब्यौरे।

(10) यदि प्रदाय की गई सामग्री/सेवा अथवा आपसी सहमति पर प्रति उत्तरदाता से शिकायत प्राप्त हुई हो; तो उसे सुधार/प्रतिस्थापित करने के पश्चात उसे स्वीकार करने की प्रमाणिक दिनांक एवं सबूत ।

(11) आपसी सहमति से प्रदाय सामग्री सेवा के सुधार पश्चात प्रत्युत्तरदाता द्वारा स्वीकृति।

6. देय मूल रकम (रू.) .....

7. दावा की गई ब्याज की रकम .....दिनांक से .. .. तक

अप्राप्त/विलंब से प्राप्त भुगतान पर दावा की गई ब्याज की रकम ब्याज गणना प्रपत्र निम्नानुसार है:-

अनुक्रमांक	प्रदाय सामग्री / इनवॉइस / बिल क्रमांक एवं दिनांक	कॉलम (2) में दर्शाए गए इनवॉइस / बिलों की कुल रकम	क्रेता द्वारा माल प्राप्ति की दिनांक	प्रदाय सामग्री/सेवा के विरूद्ध भुगतान रकम का विवरण दिनांक सहित एवं दिनांक	विलंब की अवधि	बकाया अदत्त मूल रकम	उन बिलों के ब्यौरे बिल क्रमांक, दिनांक तथा जिस पर ब्याज पर दावा किया गया है रकम सहित	
							बिल क्रमांक एवं दिनांक	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)

क्रयादेश/अनुबंध/ अधिनियम अनुसार भुगतान हेतु नियत दिन/45 दिवस/ जैसा कि विदित किया जाए की गणना हेतु नियत दिन	अप्राप्त/विलंब से प्राप्त भुगतान पर नियम/ करार/शर्तों की अवधि उपरांत नियत दिनांक से परिषद के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के दिनांक की गणना की विलबिंत अवधि, (कुल दिवस में)	भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यथा अधिसूचित बैंक ब्याज	(कॉलम (10) में यथा दर्शित) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना की दर से, मासिक अतिशेष पर चक्रवृद्धि ब्याज दिनांक . . तक ब्याज की संगणना	अभ्युक्ति
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

8. दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका:–

अनुक्रमांक	विवरण	दस्तावेज क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	
			.....से	.....तक
1	आवेदन	–		
2				
3				
4				

9. चाही गई राहत।

10. साक्षियों के नाम पते सहित:–

11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी एवं संक्षिप्त विवरण मामले का वृतांत।

12– अतिरिक्त जानकारी।

(क) सुसंगत वित्तीय वर्षों हेतु आडिटेड–बैलेंस शीट एवं लेज़र:–

(ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करने के ब्यौरें एवं उसके क्रमांक एवं दिनांक छायाप्रति सहित तथा डी टी आई सी द्वारा उसकी अभिस्वीकृति।

(ग) इस आशय की घोषणा कि याचिकाकर्ता द्वारा समान वाद कारण / विषय वस्तु में किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष ना तो कोई वाद /प्रकरण लंबित है और ना ही दाखिल किया गया है।

(घ) आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र।

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान में सत्य है अन्य कोई भी जानकारी भविष्य में अपेक्षित होगी तो मेरे द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपबंधित की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने समान विवाद पर किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील / अधिमान. नहीं की है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

आवेदक का पदनाम.....

उद्यम की मुहर दिनांक:

दिनांक: (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यथित एमएसएमई के निमित्त)

अनुदेश–

1. आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित होना चाहिए।
2. केवल ग्रीन लीगल पेपर पर टंकित आवेदन ही स्वीकार किए जाएगें।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त परिशिष्ट स्वप्रमाणित होने चाहिए।
4. दस्तावेजों की सूची के अनुक्रम में संलग्नकों के पृष्ठ क्रमांक आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगें।
5. आवेदन की एक प्रति मूल प्रति के साथ प्रत्युत्तरदातांओं की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
6. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नही किए जाएगें।
7. आवेदन की साफ्ट कॉपी संलग्न करना अपेक्षित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

F.5-12-2017-अ-LXXIII Bhopal, the 24th November, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 30 read with sub-section (3) of section 21 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of2006), and in supersession of earlier notifications issued in this behalf tht Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for facilitating the working of Madhya Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council/s (MPMSEFC), namely:-

RULES

1. Short title, extent and commencement-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules,2017.
(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
(3) They shall come into force from the date ot their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2.Definations.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);
(b) "Arbitration and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation, Act 1996(26 of 1996);
(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council appointed under clause (i) of sub-section (1) of section 21 of the Act;
(d) "Collector" means the collector of a District;
(e) "Council" means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by the Government of Madhya Pradesh under Section 20 of the Act;
(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
(g) "Institution" means any institution or centre providing alternate dispute resolution services referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the Act;
(h) "Member" means a member of the Council;

(i) "MSE Unit" means a micro or small enterprise as per the provisions of Act.

(j) "Quorum" means the minimum number of members of the council whose presence is necessary in order to enable the council to hold its sittings validly.

(k) "Section" means the Section of the Act;

(2) The words and expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Setting up of the Council.-

(1) The State Government shall establish at least one Council. However, if the work so demands, it can also set up more Council exercising such jurisdiction and for such area as may be specified in the Notification.

(2) The State Government may also give secretariat assistance to Council so appointed. It may also designate some official of the Secretariat to work as the Secretary to the Council who can be empowered by the Council to issue notices or orders on behalf of the Council.

(3) The State Government may provide a legal expert to assist the Council.

(4) The State Government may specify any fee and/or processing charges to be paid while filing application

(5) The Secretariat for Council may have its own seal.

4. Manner of appointment of Chairperson.-

The State Government shall appoint Commissioner/Director of Industries of the Micro Small and Medium Enterprises Department of the Government of Madhya Pradesh as Chairperson of the Council Keeping in view the provisions as exist in sub-clause (i) of Clause (1) of Section 21 of the Act. However, another senior officer can also be designated as Commissioner/ Director of Industries for a limited purpose for being the Chairperson of the Council.

5. Manner of Appointment of Members of Council.-

(1) The Council shall consist of not less than three, but not more than five members including the Chairperson.

(2) The State Government shall appoint the representatives specified in clauses (ii), (iii) or (iv) of sub-section (1) of section 21 of the Act as member of the Council.

(3) A member appointed under clauses (ii),iii) and (iv) of sub-section (1) of Section 21 of the Act shall cease to be a member of the Council if he or she ceases to represent the categories or interest in which he or she was so appointed.

(4) When a member of the council dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from the office or becomes incapable of acting as a member, the State Government may appoint another person to fill that vacancy.

(5) Any member of the Council may resign from the Council by tendering one month's notice in writing to the State Government. The power to accept the resignation of a member shall vest in the State Government.

(6) The Government may remove any member from office-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) if he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to his creditors; or

(c) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); or

(d) if he abstains himself /herself from three consecutive meetings of the Council without the leave of the Chairperson, and in any case from five consecutive meeting; or

(e) if he acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the State Government, to affect prejudicially his functions as a member.

(7) A member, other than the Chairperson and Non-official member, shall hold office during the pleasure of the authority nominating him. Non official member shall hold office for a period of not exceeding two years from the date of his appointment.

6. Honorarium to the Members of the Council

The remuneration, honorarium or fees and any allowances that may be paid to the members shall be at rates as approved/notified by the Government.

7. Procedure to be followed in the discharge of functions of the Council :-

(1) An aggrieved MSE unit can move a reference to the Council having territorial jurisdiction over the matter in the format mentioned in Schedule 1 of these rules. The reference must have the Udyog Aadhar Memorandum (UAM) number, mobile number and email address of aggrieved MSE unit as mentioned in Schedule I.

(2) Such reference should be attached with fee or processing charges as notified by the State Government, vide para 3 (iv) above and with an undertaking from aggrieved MSE unit that it has not moved a reference before the Civil Court on the same dispute.

(3) Upon receipt of references from the supplier MSE unit, the Secretariat of the Council shall enter the data in the web portal created for this purpose.

(4) After entering the data acknowledgement of the receipt of reference shall be issued by the Secretariat to the applicant MSE unit through email.

(5) The Council may examine the reference at preliminary stage to check regarding the fee or competency of MSE unit to file the reference.

(6) In case if the reference or the particulars entered in it are not found to the satisfaction of Council, it may return the reference.

(7) The Council shall either itself conduct conciliation in the matter or seek the assistance of any institute for conducting the conciliation and if it decides to do so, shall refer the parties to the Institute.

(8) The Institute to which the issue is referred makes efforts to bring about conciliation and it shall submit its Report to the Council within 15 days from the reference to the Council.

(9) Where the conciliation is not successful and stands terminated without any settlement between the parties, the Council shall either itself take up the dispute for further action, i.e., arbitration or refer it to an 'institute' for the same.

(10) If the matter is referred to the institute, the institute shall arbitrate the issue as per the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) and refer the award to the Council.

(11) The Council after finalizing the award, or receiving the award from the Institute shall consider the case and pass appropriate final orders in the matter.

(12) The Council may appoint/or engage the services of one or more experts in terms of section 26 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(13) The Council or a party to the dispute with the approval of the Council may apply to the court under section 27 of the Arbitration and Conciliation Act,1996 (No. 26 of 1996) for assistance in taking evidence.

8. Meetings of the Council and Quorum.-

(1) The meeting of the Council shall be ordinarily held after giving seven days notice.

(2) However, in case of urgency, it can be called at such short notice as the Chairperson may find suitable.

(3) All the notices/ communication for the meeting shall be informed to the petitioner through SMS and email.

(4) The Council shall held regular meetings at least once in a month.

(5) The quorum of meeting shall be two, in case if the number of members is three or four, and it shall be three if the number of members is five.

9. Decisions of the Council.-

(1) Any decision of the Council shall be made by a majority of its members present at the meeting of the Council.

(2) The Council shall make an arbitral award in accordance with section 31 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) and within the period as specified in sub-section (5) of section 18 of the Act. The award shall be stamped in accordance with the relevant law in force. Copies of the award shall be made available within seven days of filing of an application.

(3) The Secretariat shall upload the proceedings of every meeting of the Council on the web portal created for the purpose.

(4) No application for setting aside any decree, award or other order made either by the Council itself or by any institution or centre providing alternate dispute resolution services to which a reference is made by the Council, shall be entertained by any court unless the appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy-five percent of the amount in terms of the decree, award or as the case may be, the other order in the manner directed by such court.

10. Recovery of amount due as an arrear of land revenue.-

If a buyer does not file any appeal under section 19 of the Act for setting aside any decree, award or other order made either by the Council itself or by any institution or centre or if such appeal is dismissed, in that situation such decree, award or order shall be executed by the Collector of the District concerned and the amount due shall be recovered as an arrear of land revenue.

11. Progress Report.-

(1) The Council shall upload the basic information including the annual progress report of the Council on the web portal created for this purpose.

(2) The Council shall provide information to the Member Secretary of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Act in the manner and form required from time to time.

12. Removal of difficulties.-

(1) All the proceedings initiated as per earlier Rules shall continue unabated.

(2) If any difficulty arises during the course of implementation of these Rules, the same shall be clarified by the Central Government.

13. Repeal and Saving.-

(1) The Madhya Pradesh Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertaking Rules, 1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything done or any action taken in pursuance of any provision of the said Rules shall deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these rules.

SCHEDULE-I

Format for Reference on delayed payment to MSEFC :---------

To,

The Chairperson,
Micro and Small Enterprises Facilitation Council,

Reference : Under Section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED)

I am authorised representative of M/s..... This firm is a micro/small unit as per provisions of MSMED Act, 2006. This unit has supplied the goods to M/s ----------, but it has not been paid as per the provisions of Section 15' of the MSMED Act, 2006. I, therefore, aggrieved with this unit, wish to file a reference. The information pertaining to the case is as under :

1. Udyog Aadhaar No. (Note-MSME unit can register Udyog Aadhaar on udyogaadhaar.gov.in(http://udyogaadhaar.gov.in):
2. Date of Filing Application (DD/MM/YY):
3. **Details of Aggrieved MSE Unit**
   - (1) Name of Authorized representative : (Authorization to be attached)
   - (2) Name of the Unit
   - (3) Address(including Pin Code):
   - (4) State :
   - (5) District :
   - (6) Mobile Number
   - (7) Email :
   - (8) Type of Aggrieved MSE
     Micro Small
4. **Name of Respondent (Buyer)**
   - (1) Address(including Pin Code):
   - (2) State :
   - (3) District :
   - (4) Mobile Number
   - (5) Email
   - (6) Category of Respondent (Buyer), [CPSU/State PSU/.....]

5. Details of information in respect of claim

(1) Details of supply orders issued by the purchaser/Respondent with description of material/Service provided quantity and cost along with photocopies.

(2) Details of Invoices/Bills, raised against supply order with particulars of material /service name, quantity and cost along with photocopies,:-

(3) Details of delivery challans /work completion certificates/goods receipt.

(4) Details of material/services acceptance, quantities and date with photocopies:-

(5) Detailed description of mutually agreed terms and conditions between purchaser and supplier /Agreement / Contract,along with stipulated delivery date.

(6) Details of paid and unpaid invoices with dates in the order of supplies.

(7) Details of completion of forty five days and appointed day for calculating delayed payment for good supply.

(8) Details of correspondence with Respondent for payment of outstanding dues.

(9) Authentic details of complaints/objection of Respondent if any against goods supplied/service provided or any understanding between parties.

(10) If a complaint is received from Respondent on supplied goods and services or on mutual agreement then acceptance of the same after rectification / replacement with date and authentic proof.

(11) Acceptance by Respondent after rectification of supplied material and services with mutual consent.

6. Principal Amount Payable (Rs.).....

7. Interest Claimed as on : .....

Interest claimed for delayed payment.(Calculation of interest in format below):-

S. No.	Invoice/ Bill Nos. and Date of Supply order	Total Amount of Invoice/ Bills indicated in column (2)	Date of receipt of goods by purchaser	Amount of Payments Received with dates against goods supplied/service provided	Delay period	Principal Amount remaining unpaid	Detail of those bills with Bill No. and date on which interest has been claimed.	
							Invoice/Bills No. and Date	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)

Due date /45 days as the case may be from the date of purchase order/ agreement or as provided in the Act for payment for calculating the actual date of appointed day	Calculation of interest on delayed/unpaid payment in terms of rules/ agreement from the date of appointed day till the date of filing the case before the council (Total No. of days)	Interest of Bank Rate as Notified by the Reserve bank of India	Calculation of Compound interest with monthly interest at three times of the Bank rate Notified by the Reserve bank of India. (As indicated in column (10) For the period from.....to.....	Remark
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

8. Index of documents enclosed in support of the claim:-

S. No.	Particulars	Document No.	Page No.	
			From	To
1	Application			
2				
3				
4				

9. Relief Sought.

10. Name of witnesses with Address.":-

11. Any other relevant information and brief description (Case History)

12. Additional Information

(a) Audited Balance Sheet and Ledger for the relevant financial years . :-

(b) Details of submission of memorandum before the District Trade and Industries Centre and Acknowledgement thereof by the DTIC with its no. and date, along with photocopy.

(c) Declaration to the effect that no case/suit is pending and has been filed before any Competent Court on the same cause of action/subject matter of dispute by the Petitioner.

(d) Affidavit in support of application.

I, hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge. Any information that may be further required, shall be provided immediately before the concerned authority. I further declare that I have not filed/preferred any appeal before any court on the same dispute.

Signature.....
Name.....
Designation of Applicant

Seal of Enterprise
(Authorized Signatory on behalf of aggrieved MSE)

Date:

INSTRUCTIONS

1. Application must be supported by an affidavit.
2. Only typed Application on green legal paper shall be entertained.
3. All Annexure (s) to the application must be self attested.
4. List of Documents dully mentioning the page numbers in chronological order shall be enclosed along with the application.
5. Copy of application must be in proportion to the number of respondents along with one original copy.
6. Incomplete application shall not be accepted.
7. Soft copy of the application is required to be submitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. L. KANTHA RAO, Principal Secy.

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ. 2–2/2016/सात/शा.6– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 244 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (चौसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार आबादी स्थानों के निराकरण (निपटारे) सम्बंधी नियम जो कि अधिसूचना क्रमांक 220/6477–सात–ना (नियम) दिनांक 06.01.1960 द्वारा उक्त संहिता की धारा 244 के अधीन बनाए गये हैं, और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित हैं, में संशोधन प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों को जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर या उसके पश्चात्, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 1 में खण्ड (ग) में, शब्द "हरिजन" के स्थान पर, शब्द "अनुसूचित जाति" स्थापित किए जाएं।
2. नियम 2 में शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 (1984 का 1)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" स्थापित किए जाएं।
3. नियम 6 के उप नियम (2) के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

   "(दो) अनुसूचित जाति"

4. नियम 16 के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (दो) स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

   "(दो) अनुसूचित जाति"

5. नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 21–क अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"21–क. यदि आवेदक/क्रेता विवाहित है, तो नियम 21 के अधीन प्रमाण–पत्र पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से जारी किया जाएगा।"

6. नियम 21 के अधीन प्ररूप–ग के पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि ..... आत्मज ..... एवं श्रीमती ..... पत्नी.....निवासी ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक .....तहसील .....जिला .....को .....रूपये प्रीमियम देने पर नीचे विनिर्दिष्ट भूखण्ड में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र. एफ–2–2–2016–सात–शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ–2–2–2016–सात–शा.6, दिनांक 29 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 29th November 2017

No. F.- 2-2/2016/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (Lxiv) of sub-section (2) of section 258 read with section 244 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, proposes to amend the Rule relating to dispose of abadi sites, made under section 244 of the said Code by notification No. 220/6477-VII-N (rules) dated 6th Jan, 1960 and published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 22nd Jan, 1960, and publishes as required sub-section (3) of section 258 of the said code, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment by the Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal on

or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In said rules.-

1. In clause (c) of rule 1, for the word 'Harijan' the words 'Scheduled caste' shall be substituted.
2. In rule 2, for the words, figures and bracket "The Land Acquisition Act, 1894 (No.1 of 1894)" the words, figures and bracket "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted.
3. For clause (ii) of the proviso of sub rule (2) of rule 6, the following clause shall be substituted, namely-

   "(ii) Scheduled Caste"
4. For clause (ii) of the proviso of rule 16, the following clause (ii) shall be substituted, namely-

   "(ii) Scheduled Caste"
5. After rule 21, the following rule 21-A, shall be inserted, namely :-

   "21-A. If the applicant/purchaser is married, the certificate under rule 21 shall be issued in the joint name of husband and wife."
6. For para 1 of Form-C under rule 21, the following para shall be substituted, namely:-

   "It is hereby certified that .....son of ..... and Smt. ..... wife of .....resident of village .....P.H.No.....tahsil.....district .....has been granted bhumiswami's rights in the plot specified below and on payment of premium of Rs. ....."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.